भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
07.02.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 839 का उत्तर

माल यातायात से सृजित आय

839. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2022-23 के दौरान माल यातायात परिचालन और यात्री यातायात से अलग-अलग कुल कितनी आय सृजित की गई;
(ख) माल यातायात और यात्री परिचालन से आय बढ़ाने के लिए कौन से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं;
(ग) वर्ष 2022-23 के दौरान रेल परिचालन में कितनी दुर्घटनाएं हुई और इसके क्या कारण थे;
(घ) इन दुर्घटनाओं के कारण हुई जान-माल की हानि के आंकड़े क्या हैं;
(ङ) रेल यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए कौन से विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं;
(च) क्या रेल यात्रियों का बीमा करने की कोई योजना है;
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

s.k

माल यातायात से सृजित आय के संबंध में दिनांक 07.02.2024 को लोक सभा में इंजीनियर गुमान सिंह दामोर के अतारांकित प्रश्न सं. 839 के भाग (क) से (ज) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान माल यातायात परिचालन से कुल सृजित राजस्व 1,62,263 करोड़ रु. और यात्री यातायात से कुल सृजित 63,417 करोड़ रु. हैं।

(ख): माल राजस्व बढ़ाने के लिए, भारतीय रेल ग्राहकों से लगातार संपर्क में रहती है और समय पर उपलब्धता, विश्वसनीय सेवा और कार्गो की उचित सुपुर्दगी के संदर्भ में माल की आवश्यकता को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए सामान्य प्रयोजन मालडिब्बा निवेश योजना, उदारीकृत विशेष मालगाड़ी ऑपरेटर योजना, ऑटोमोबाइल मालगाड़ी ऑपरेटर योजना और गति शक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल योजना आदि जैसे मालडिब्बों को शामिल करने और फ्रेट टर्मिनलों को बढ़ाने की योजना शुरू की गयी है।

(ग) और (घ) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य रूप से परिसंपत्ति में खराबी, पर्यावरणीय कारकों और मानवीय त्रुटियों के कारण, 48 परिणामी दुर्घटनाएं हुई हैं। परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाएं 2014-15 में 135 से घटकर 2022-23 में 48 हो गई हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 48 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में आठ लोगों की मृत्यु हो गई। इन दुर्घटनाओं के कारण से रेल परिसंपत्ति को 59.56 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

(ङ) रेल यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में महत्वपूर्ण सुरक्षा परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन/नवीनीकरण/उन्नयन के लिए 2017-18 में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की शुरूआत शामिल है। संरक्षा बढ़ाने के कदमों में इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली, समपार फाटकों की इंटरलॉकिंग, स्टेशनों की पूर्ण रेलपथ परिपथन, सतर्कता नियंत्रण उपकरण, कोहरा संरक्षा उपकरण, आधुनिक रेलपथ संरचना, पारंपरिक आईसीएफ डिजाइन वाले सवारी डिब्बों को एलएचबी डिजाइन वाले सवारी डिब्बों से बदलाव, चौकिदार रहित रेल फाटकों को खत्म करना और मरम्मत और अनुरक्षण की अग्रिम योजना के लिए रोलिंग ब्लॉक का प्रावधान शामिल है।

s.k

(च) से (ज) रेल यात्रियों के लाभ के लिए भारतीय रेल द्वारा 01.09.2016 से वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना शुरू की गई थी। यह बीमा योजना भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट से कन्फर्म/आरएसी, ऑनलाइन/ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक है। 01.11.2021 से इस योजना के लिए प्रीमियम प्रति यात्री प्रति यात्रा 0.35/- रु. (सभी करों सहित) है। बीमाकृत राशि निम्नानुसार है:-

विवरण	बीमाकृत राशि
मृत्यु के मामले में	₹ 10 लाख
स्थायी पूर्ण दिव्यांगता	₹ 10 लाख
स्थायी आंशिक दिव्यांगता	₹ 7.5 लाख तक
चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होने का खर्च	₹ 2 लाख
पार्थिव शरीर का परिवहन	₹10 हजार

*****

s.k